पद 'महिला' हेतु आरक्षित रहेगा जब तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों की महिलाओं सहित कुल पदों के एक तिहाई पदों का आरक्षण पूर्ण न हो जाये.

[96] वित्त अनुभाग-6, अधिसूचना सं. 177/XXVII(6)/2013, दिनांक 22 मार्च, 2013, उत्तराखण्ड गजट, असाधारण में दिनांक 22 मार्च, 2013 को पृष्ठ सं. 1-3 पर प्रकाशित हुआ [आर.ई. 20]

राज्यपाल भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9, सन् 1932) की धारा 71 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **उत्तराखण्ड भारतीय भागीदारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013** है.

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

2. नियम 14 का संशोधन.—यू.पी. इण्डियन पार्टनरशिप रूल्स, 1933 में नियम 14 के स्थान पर निम्न नियम रख दिया जायेगा.

14. अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 और 67 के उपबन्धों अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियाँ देने के लिये निम्नलिखित फीस उद्गृहीत की जायेगी—

(1)	नियम 12 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिये.	फर्म्स से सम्बन्धित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के लिए 200 रुपये.
(2)	नियम 13 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिये.	प्रति पृष्ठ के लिए साठ रुपये.
(3)	रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति के लिये.	एक सौ रुपये.
(4)	धारा 58 के अधीन कथन.	पाँच हजार रुपये.
(5)	धारा 60 के अधीन कथन फर्म के नाम, कारोबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन के लिए.	एक सौ पचास रुपये.
(6)	धारा 61 के अधीन कथन शाखाओं के खोलने एवं बन्द करने के लिए.	एक सौ पचास रुपये.
(7)	धारा 62 के अधीन कथन भागीदारों के नाम एवं पतों में परिवर्तन के लिए.	एक सौ पचास रुपये.
(8)	धारा 63 के अधीन कथन फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन हेतु.	एक सौ पचास रुपये.
(9)	धारा 64 के अधीन कथन भूलों में परिशोधन के लिए.	एक सौ पचास रुपये.
(10)	धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण.	एक सौ रुपये.
(11)	धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण.	दो सौ रुपये.
(12)	फर्मों के रजिस्टर से प्रतियाँ.	प्रति पृष्ठ के लिये साठ रुपये.

[97] **Vidhayai Evam Sansadiya Karya Vibhag, Noti. No. 253/XXVI(3)/2013/41(1)/2013, dated 22-7-2013. It was promulgated by the Governor on July 22, 2013, published in the Uttarakhand Gazette, Extra, Part 2, Section (Ka), dated 22nd July, 2013, pp. 11-20**

[R.E. 51]

The Uttarakhand Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization) Ordinance, 2013

[UTTARAKHAND ORDINANCE NO. 2 OF 2013]

(As promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 17 July, 2013)

An ordinance to ensure, accelerated development of Scheduled Castes and Scheduled s with emphasis on achieving equality economic, educational and human development with ensuring the security and social dignity and promoting equity among Scheduled s and the Scheduled Tribes, by earmarking a portion, in proportion to population of uled Castes and Scheduled Tribes in the State of the total plan outlay of the State of

Scanned with OKEN Scanner